अपील सूचना अधिकार संख्या 198/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) , श्रीगंगानगर

31–07–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 10.11.2016 के द्वारा 5 बिन्दुओ की सूचना उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर से चाही गई थी उनके द्वारा बिन्दु सं0 4 व 5 की सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1)(2) के तहत उन पर 25000रूपये जुर्माना लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 10.11.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) श्रीगंगानगर के पत्रांक 3520–21 दिनांक 25.10.2016 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र प्राप्ति से लेकर इस पत्रांक का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार द्वारा की गई है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. पत्रांक 3520–21 दिनांक 25.10.2016 की बिन्दु संख्या एक प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 19.10.2016 पर आप द्वारा की गयी कार्यवाही सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. पत्रांक 3520–21 दिनांक 25.10.2016 की बिन्दु संख्या 2 में अंकित पत्रांक 1250 दि0 17.10.16 में अंकित पत्र पर आप द्वारा कार्यवाही न किये जाने की नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. पत्रांक 3520–21 दिनांक 25.10.2016 की बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में पत्रांक 7.10.2016 में कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 2020 दिनांक 30.12.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1837 दिनांक 15.11.2016 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई थी।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1837 दिनांक 15.11.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु संख्या	प्रश्न	उत्तर
1.	अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) श्रीगंगानगर के पत्रांक 3520–21 दिनांक 25.10.2016 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	पत्र प्राप्ति क्रमांक 4192 दिनांक 28.10.2016 प्राप्ति रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु रूपये 4/–शुल्क जमा करवाने पर प्रति नियमानुसार जारी कर दी जावेगी।
2.	पत्र प्राप्ति से लेकर इस पत्रांक का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस जिस कर्मकार द्वारा की गई है उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	कार्यवाही पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु रूपये 4/–शुल्क जमा करवाने पर प्रति नियमानुसार जारी कर दी जावेगी।
3.	पत्रांक 3520–21 दिनांक 25.10.2016 की बिन्दु संख्या एक प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 19.10.2016 पर आप द्वारा की गयी कार्यवाही सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	कार्यवाही पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु रूपये 4/–शुल्क जमा करवाने पर प्रति नियमानुसार जारी कर दी जावेगी।
4.	पत्रांक 3520–21 दिनांक 25.10.2016 की बिन्दु संख्या 2 में अंकित पत्र पर आप द्वारा कार्यवाही न किये जाने की नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	जहां तक आप द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाये जाने का प्रश्न है राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई सामग्री अभिलेख, ज्ञापन, ईमेल, मत सलाह नमूने मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूकि खोजकर खाजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नही आता है।
5.	पत्रांक 3520–21 दिनांक 25.10.2016 की बिन्दु संख्या 3 के रू. 10/– 35 एफ –643808 सम्बन्ध में पत्रांक 7.10.2016 में कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।	

अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में बिन्दु संख्या 4 व 5 की सूचना उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 4 व 5 में चाही गई सूचना कोई निश्चित सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा बिन्दु सं0 4 व 5 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है और अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का यदि अपीलार्थी अवलोकन कर उसमें से कोई सूचना लेना चाहे तो उसे उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार अवलोकन करवा दिया जावे और उपलब्ध अभिलेख में से अपीलार्थी जो सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1573-74
18.8.17

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर